अनुलग्नक II

बैंक शाखाओं के आंतरिक निरीक्षण के लिए पेंशन भुगतान/सरकारी कारोबार से संबंधित जाँच सूची :

ए) क्या बैंक ने परिचालन और पर्यवेक्षी दोनों स्टाफ को पेंशन भुगतान का महत्व और इसकी सामाजिक उपयोगिता के बारे में उचित जानकारी दी है?

बी) क्या पेंशन के भुगतान, पेंशन के संशोधन, मंहगाई राहत में संशोधन इत्यादि में विलंब होता है ?

सी) क्या पीपीओ के अनुसार 15 साल के बाद पूर्ण पेंशन को बहाल करने में देर होती है?

डी) क्या समय से पेंशन के भुगतान में बैंक के लिंक शाखा/फोकल बिंदु शाखा/पेंशन संवितरण शाखा में विलंब होता है?

ई) क्या बैंक शाखा यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनभोगी को अधिभुगतान नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे बाद में पेंशनभोगी को ही कठिनाई होती है?

एफ) क्या शाखा प्रबंधक त्रैमासिक आधार पर पेंशनभोगियों के साथ संवाद करता है?

जी) क्या केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय, नियंत्रक, रक्षा पेंशन आदि जैसे संबंधित सरकारी विभागों के परामर्श से पेंशन मामलों को देखने वाले बैंक कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया?

एच) क्या सभी पेंशन खातों में नामांकन होने का अनुपालन किया गया है?

आई) जहाँ भी लागू हो, क्या पेंशन खाते को संयुक्त खाते में परिवर्तित कर दिया गया है?

जे) क्या केंद्रीय सिविल/रक्षा/रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन पर्ची जारी किए जाते हैं?

के) क्या बैंक शाखा में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है और पेंशनभोगियों की शिकायतों पर समय से कार्रवाई की जाती है और उनकी शिकायतों का निवारण तेजी से होता है?

एल) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार क्या पेंशन मार्च माह, जिसमें यह अप्रैल के प्रथम कार्यदिवस को जमा होता है, को छोड़कर अन्य माह में अंतिम चार कार्यदिवसों में जमा होता है?

एम) क्या पेंशन भुगतान करने वाली शाखा द्वारा पेंशन भुगतान का विस्तृत रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र में रखा जाता है?

एन) क्या पेंशन का भुगतान करने वाली शाखा हर साल नवंबर के महीने में पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त / बेरोजगार प्रमाणपत्र/ रोजगार प्रमाण पत्र प्राप्त करता है?

ओ) जहाँ भी लागू हो, क्या पेंशन का भुगतान करने वाली शाखा पेंशन भुगतान से स्रोत पर आयकर की कटौती करता है?

पी) चाहे बैंक शाखा कर निर्धारिती द्वारा की ग़लत प्रविष्टि को समाप्त करने के लिए सीडी से मौजूदा कर निर्धारिती के पैन संख्या के सत्यापन की प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करता है?

क्यू) क्या कर संग्रह करने वाली शाखाओं द्वारा चेक की प्राप्ति की पावती में निरपवाद रूप से पेपर टोकन दिया जाता है?

आर) क्या बैंक के बीएसआर कोड और चालान पहचान संख्या (सीआईएन) का स्पष्ट रूप उल्लेख करते हुए चालान पर मुहर लगाया जाता है?

एस) क्या मुहर लगाये गए चालान बैंक कर्मचारी की अभिरक्षा में रहते हैं और केवल पेपर टोकन दिए जाने पर ही संबंधित करदाता को यह सौंपा जाता है?